



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/891

दिनांक:- 18/11/2021

—:कार्यवाही विवरण:—

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2020 वीं बैठक दिनांक 16.12.2020 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (16.12.2020)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 07/2020 वीं बैठक दिनांक 03.12.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (16.12.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 449/2/1, 449/1/मीन रकबा 04-10 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत।
आवेदक :- श्रीमती रानीदेवी पत्नी श्री परसराम एवं श्रीमती कमलादेवी पत्नी श्री भंवरलाल खटीक।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र मय नोटरी सुदा समर्पणनामा प्रस्तुत कर समीप की जोधपुरा द्वारा अनुमोदित योजना खसरा संख्या 449/2 में जारी पट्टा विलेख भूखण्ड संख्या 11 व 12 को रास्ते के रूप में समर्पित करते हुए 40 फीट एपरोज दर्शित करते हुए मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ले-आउट प्लान जारी करने से पूर्व समर्पण किये जाने वाले भूखण्डों का जोधपुरा के हक में प्रार्थी से रजिस्टर्ड समर्पणनामा प्राप्त किया जावे।
2. ले-आउट प्लान जारी करने से पूर्व प्रश्नगत योजना से लगती हुई अनुमोदित योजना खसरा संख्या 449/2 के अनुमोदित मानचित्र संशोधन किया जाकर उक्त भूखण्ड संख्या 11 व 12 के स्थान पर 40 फीट सड़क अंकित किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (16.12.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 77/4 रकबा 11-03 बीघा के आवासीय (सी.एम. जे.वाई) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री दानाराम घुमंडा पुत्र श्री मोहनलाल घुमंडा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 08.03.2017 के अनुसार 132 के.वी की एच.टी लाईन हेतु 13.8 मीटर सेपटी कोरीडोर रखते हुए सेपटी कोरीडोर के उपरान्त दोनों तरफ 40 फीट सड़क रखी जावे।
2. सीएमजेवाई के तहत प्रार्थी से विस्तृत डीपीआर प्राप्त की जाकर प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी से प्रोजेक्ट की स्वीकृति ली जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (16.12.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 01 रकबा 1240.92 वर्गगज के उपविभाजन कर योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती धनवन्ती पत्नी श्री राजूराम चौधरी।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बैठक के दौरान जोन उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि सेन्य क्षेत्र की 100 मीटर की दूरी से प्रभावित है। अतः एयरपोर्ट से 100 मीटर/900 मीटर दूरी के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट/टिप्पणी प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 5 :- (16.12.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 16/5, 16/6 रकबा 05 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री मेघाराम पुत्र श्री जोगाराम एवं श्री मालाराम पुत्र श्री मसराराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बैठक में विचार विमर्श कर निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया -

1. सेक्टर/जोनल प्लान (प्रारूप) जोन पूर्व के प्रभावी होने अथवा नहीं होने बाबत निदेशक विधि से पुनः राय प्राप्त की जावे।
2. सेक्टर/जोनल प्लान (प्रारूप) जोन पूर्व के प्रभावी होने की स्थिति में यदि प्रश्नगत भूमि जोनल प्लान के प्रस्तावों से प्रभावित होती है तो उक्त का परिक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सचिव, जोविप्रा की अध्यक्षता में निदेशक आयोजना, निदेशक अभियान्त्रिकी, उपायुक्त जोन एवम् उप नगर नियोजक की संयुक्त टीम गठित की जाती है।

एजेण्डा संख्या 6 :- (16.12.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 188/2, 188/10, 188/1, 188/11 रकबा 10-03 बीघा पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान के संयुक्तीकरण राशि के रिफण्ड के संबंध में निर्णय बाबत।

आवेदक :- श्रीमती शीतल अतुल सिंह पत्नी श्री अतुल सांखला अध्यक्ष राजस्थान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा उक्त संबंध में निदेशक आयोजना तथा निदेशक वित्त के स्तर पर नियमानुसार सम्पूर्ण जांच कर सचिव तथा आयुक्त महो. को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त यदि आवश्यक हो तो पुनः आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 7 :- (16.12.2020) जोन- उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम बोरवास के खसरा संख्या 267 रकबा 14-18 बीघा की अनुमोदित आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान में संशोधन के संबंध में निर्णय बाबत।
आवेदक :- श्री रमेश रामनानी पुत्र श्री नेनमल व अन्य।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श समिति द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 18.12.2018 में लिये गये निर्णय में उल्लेखित शर्तें अनुसार तथा आवासीय उपयोग का अधिकतम 54 प्रतिशत का प्रावधान करते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 8 :- (16.12.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/11 रकबा 01.05.17 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री रतनलाल पुत्र श्री शंकरलाल

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 80 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. प्रकरण में मौके पर निर्माण स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।
4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104/18, 104/28 रकबा 02.06.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री रोहित डागा पुत्र श्री भोजराज डागा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई

तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की छवद.व्दवगपवने प्दकनेजतपमे अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें। प्रार्थी द्वारा
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. प्रकरण में मौके पर निर्माण स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें।
5. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/5 रकबा 00.18.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री रोशन कुमार संकलेचा पुत्र श्री सम्पतराज संकलेचा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने दक्षिण दिशा तथा पूर्व दिशा में स्थित मार्ग को कमशः 60 फीट तथा 80 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट तथा 80 फीट रखा जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट तथा 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावें।
4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103 / 32 रकबा 02.03.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री रितेश मोहनोत पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहनोत

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक पर पूर्व में हुए कमिटेन्ट की रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 12 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1969 / 1059 रकबा 00.16.04 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती पूजा लोहिया पत्नी श्री धर्मेन्द्र लोहिया

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 60 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। उक्त सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि मौके पर स्थित सडक की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
3. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि जोन उपायुक्त द्वारा वसूल की जावे।
4. प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104 / 55 रकबा 01.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री गौतमचन्द सुराणा पुत्र श्री छगनलाल सुराणा

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक पर पूर्व में हुए कमिटेन्ट की रिपोर्ट जोन स्तर से प्राप्त की जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 14 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 88/5 रकबा 25.01.00 में से 10.17.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती बालीदेवी पत्नी श्री सिवराम, श्री दाउलाल पुत्र श्री सिवराम, श्री कानाराम पुत्र श्री सिवराम, श्री मदनलाल पुत्र श्री सिवराम, श्री सुखाराम पुत्र श्री सिवराम

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 100 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 50 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावे।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 15 :- (16.12.2020) जोन- दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 8/1, 8/3 रकबा 02.04.00 बीघा के थोक व्यापार प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री शाहबाज बेलिम पुत्र श्री लियाकत बेलिम, श्रीमती जेबा बेलिम पुत्री श्री अदील मजीद

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श द्वारा मास्टर प्लान अनुसार भू-उपयोग भिन्न होने के कारण आवेदक को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 16 :- (16.12.2020) नीतिगत निर्णय

विषय- डी.पी.आर प्रस्तुत करने के संबंध में।

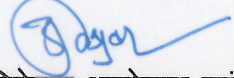
निर्णय :- पूर्व में आयोजित बैठकों में समस्त प्रकार के औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आवेदक से डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त क्रम में समिति स्तर पर पुनः चर्चा की गई जिसके क्रम में निर्णय लिया गया कि केवल ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक, कृषि आधारित संबंधित गतिविधियां तथा राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.09.2020 में उल्लेखित गतिविधियों में ही आवेदक से डी.पी.आर/प्रस्ताव/रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये जावे।

एजेण्डा संख्या 17 :- (16.12.2020) नीतिगत निर्णय

विषय- आयुक्त महो. से पत्रावली पर बैठक में रखे जाने वाले प्रकरणों के एजेण्डा नोट अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- आयुक्त महो. से पत्रावली पर बैठक में रखे जाने वाले प्रकरणों के एजेण्डा नोट अनुमोदन के संबंध में बैठक में हुई चर्चानुसार निदेशक आयोजना को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

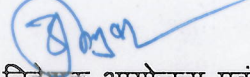

निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/ 892-96

दिनांक:- 18/11/2021

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

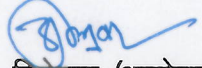
1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2020 वीं बैठक दिनांक 16.12.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री लाडूराम विश्‍नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमती कंचन राठौड, उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

